उत्तर प्रदेश सरकार संख्या-1648-47-का-4-90-48-79 /लखनऊ, 7 फरवरी, 1991

कार्मिक अनुभाग-4 अधिसूचना सा0प0नि0-9

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कोई सिविल पद धारण करते हों और जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने के नियन्त्रणाधीन हों।

2. अध्यारोही प्रभाव-इस नियमावली के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी बात के लिए प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे।

3. परिभाषाएँ-जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

(क) किसी पद या सेवा में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य सरकार द्वारा जारी किये गये सुसंगत सेवा नियमों का कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद या सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है।

(ख) 'संविधान' का तात्पर्य 'भारत का संविधान' है।

(ग) 'सम्वर्ग' किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत किसी सेवा या सेवा के किसी भाग की सदस्य संख्या से है।

(घ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

(ङ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(च) 'सरकारी सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

(छ) 'धारणाधिकार' का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के किसी नियमित पद को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, या तुरन्त या तो अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर, धारण करने के अधिकार या हक से है।

कार्मिक अनुभाग 4 की विज्ञप्ति संख्या- 1648-47-का-4-90-48/79, दिनांक 7-2-91 द्वारा उत्तर प्रदेश राज के सरकारी सेवक स्थायी करण नियमावली, 1991 प्रसारित की गयी जिसके अनुसार जब नियमित अस्थायी पदों पर भी स्थायीकरण किया जा सकता हैं तथा तदनुसार 'धारणाधिकारी (लियन) की परिभाषा अब निम्न प्रकार से संशोधित कर दी गई-

'धारणाधिकार' का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के किसी नियमित पद को, चाहे वह स्थायी हों या अस्थायी, या तो तुरन्त या अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर, धारण करने के अधिकार या हक से है।

(ज) 'विहित' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गए नियमों द्वारा या किसी विशिष्ट सेवा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्गत कार्य-पालक अनुदेशों द्वारा विहित से है।

(झ) 'सेवा का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमों या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये कार्य-पालक अनुदेशों में यथा परिभाषित सेवा से है।

(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के सम्वर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्य-पालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

4. स्थायीकरण जहाँ आवश्यक हैं-(1) किसी सरकारी सेवक का स्थायीकरण केवल उसी पद पर किया जा

जिस पर वह, (एक) सीधी भर्ती के माध्यम से या (दो) यदि भर्ती का एक स्त्रोत सीधी भर्ती भी है, प्रोन्नति द्वारा या (तीन) यदि पद भिन्न सेवा से सम्बन्धित है तो प्रोन्नति द्वारा, मौलिक रूप से नियुक्त किये गया हो।

(2) ऐसा स्थायीकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा-

1. ऐसे पद के प्रति चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार न हो।
2. यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमों, या सरकार द्वारा निर्गत किये गये कार्यपालक अनुदेशों में दी गई स्थायीकरण की शर्तों को पूरा करने के अधीन।
3. स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया जाना आवश्यक।

स्पष्टीकरण- इस तथ्य के होते हुए भी कि कोई सरकारी सेवक किसी अन्य पद पर स्थायी है, चाहे वह किसी पद पर सीधे भर्ती किया जाए, या किसी पद पर, जहाँ भर्ती का एक स्त्रोत सीधी भर्ती भी हो, प्रोन्नति किया जाय तो उस पद पर स्थायी करना होगा।

5. <u>स्थायीकरण जहाँ आवश्यक नहीं है</u>- (1) स्थायीकरण तब आवश्यक नहीं होगा, जब तक कोई सरकारी सेवक उस सम्वर्ग में, जिसमें भर्ती का स्त्रोत प्रोन्नति ही हो, विहित प्रक्रिया का पालन किए जाने के पश्चात् नियमित आधार पर प्रोन्नत किया जाये।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पद पर प्रोन्नत होने पर सरकारी सेवक को वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो उस श्रेणी में स्थायी किए गए, यदि कोई परिवीक्षा विहित न की गई हो, किसी व्यक्ति को प्राप्त होते।

(3) जहाँ परिवीक्षा विहित है वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी निहित परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सरकारी सेवक के कार्य और आचरण का स्वयं मूल्यांकन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की दशा पर की सरकारी सेवक उच्चतर श्रेणी के लिए उपयुक्त है तो वह यह घोषित करते हुए एक आदेश जारी करेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में सम्बन्धित सरकारी सेवक का कार्य और आचरण सन्तोषजनक नही रहा है या कुछ और समय तक उसके कार्य और आचरण को देखने की आवश्यकता है तो वह उसे उस पद या श्रेणी पर प्रत्यावर्तित कर सकता है जिससे वह प्रोन्नत किया गया था, या परिवीक्षा की अवधि विहित रीति से बढ़ा सकता है।

(4) जहाँ उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता की एक आवश्यक शर्त निम्नतर पोषक पद पर स्थायीकरण विहित की जाय, वहाँ नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन निम्नतम पद पर उसका स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा यदि उस पद पर उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय।

दृष्टान्त- (1) 'लेखपाल सेवा नियमावली' में लेखापाल के पद पर भर्ती का एक मात्र स्त्रोत सीधी भर्ती है। 'क' लेखपाल के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया जाता है 'क' को नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन उक्त पद पर स्थायी करना होगा।

(2) 'ख' तहसीलदार के पद पर एक स्थायी सरकारी सेवक है, जिसे उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 1982 के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में सामान्य श्रेणी के एक पद पर प्रोन्नत किया जाता है। 'ख' को नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन पुनः बाद वाले पद पर स्थायी करना होगा।

(3) 'ग' को सीधी भर्ती के माध्यम से सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्ति किया जाता है, और 'घ' को यूनाइटेड प्राविन्सेज सर्विस आफ इन्जीनियर्स क्लास टू (इरीगेशन ब्रान्च) रूल्स, 1936 के उपबन्धों के अधीन और प्रोन्नति कोटा के प्रति सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति किया जाता है। 'ग' और 'ख' दोनों को सहायक अभियन्ता के पद पर स्थायी करना होगा क्योंकि सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती के स्त्रोतों में सीधी भर्ती भी एक स्त्रोत हैं।

(4) 'ड' सिंचाई विभाग में एक स्थायी सहायक अभियन्ता है जिसे सरकार द्वारा निर्गत किए गए कार्यपालक अनुदेश के अनुसार अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता हैं 'ड' को पुनः अधिशासी

अभियन्ता के पद पर स्थायी करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि अधिशासी अभियन्ता के पद पर भर्ती का एक मात्र स्त्रोत प्रोन्नति है।

(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक का पद लिपिक वर्गीय सेवा का पद है। अनुभाग अधिकारी का पद एक भिन्न सेवा अर्थात उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा का पद है।

'च' एक अस्थायी प्रवर वर्ग सहायक है जिस नियम-4 के उपनियम (1) के अधीन अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति होने पर पुनः स्थायी करना होगा। अनुसचिव के पद पर और अन्य उच्चतर पदों पर अगले प्रोन्नति होने पर उसका मामला नियम-4 के उपनियम (1) के अन्तर्गत आएगा और 'च' को उच्चतर श्रेणी के पदों पर पुनः स्थायी नहीं करना होगा।

6. वे पद जिन पर ये नियम लागू नहीं होंगे-से नियम वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ नियुक्तियां उन अधिष्ठानों के पदों पर की जायं, जो निश्चित और पूर्णतः अस्थायी अवधि के लिए सृजित किये गये हों, जैसे कि समितियाँ, जाँच आयोग, किसी विशिष्ट आपात स्थिति से निपटने के लिए सृजित संगठन जिनके कुछ ही वर्षों से अधिक समय तक चलने की प्रत्याशा न हो, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परियोजनाओं और पूर्णतः अस्थायी संगठनों के लिए सृजित पद।

7. धारणाधिकार रखने का अधिकार-ऐसा सरकारी सेवक जिसे नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन किसी पद पर स्थायी किया गया हो या किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया हो और इस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन विहित परिवीक्षा पूरी कर लिया जाना घोषित कर दिया गया हो या जहाँ परिवीक्षा विहित नहीं है, वहाँ नियमित आधार पर उच्चतर पद पर प्रोन्नत कर दिया गया हो, यथा स्थिति, यह समझा जायेगा कि उस पद पर उसका धारणाधिकार है।

8. व्यावृत्ति-इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अनस्थविशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

नीरा यादव सचिव।

कार्मिक अनुभाग - 1 संख्या 19/5/1980-कार्मिक-1 लखनऊ, दिनांक 29 अप्रैल, 1980

अस्थायी पदों को स्थयी किये जाने के बारे में तथा ऐसे अस्थायी राज्याधीन कर्मचारी जो 3 वर्ष की अवधि से अधिक निरन्तर कार्यरत रहते चले आ रहे हैं, को उल्लिखित क्रम में स्थायी किये जाने के बारे में सुस्पष्ट शासनादेश कार्मिक विभाग, वित्त विभाग तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाते रहे है और इन शासनादेशों को पूरा सेट शासनादेश संख्या 19/5-79-कार्मिक-1 , दिनांक 30 मार्च, 1979 के साथ संलग्न कर भेजा गया है। इसके बाद दिनांक 28 नवम्बर, 1979 को भी इसी विषय पर नीति विषयक सुस्पष्ट आदेश जारी किये जा चुके है।

उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित कराने के साथ ही शासन का यह भी निर्णय है कि ऐसे अस्थायी कर्मचारी जो वर्षो से अथवा इससे अधिक अवधि से अस्थायी चले आ रहे है और तैनाती की तिथि से निरन्तर कार्य कर रहे है, उन्हें निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने के बाद नीचे लिखी सुविधायें प्रदान करायी जायं:-

शर्तें-(1) कर्मचारी की मूल नियुक्ति भर्ती के प्रासंगिक नियम विधवत् प्रशासनिक आदेशों के अनुसार नियमित रूप से (तदर्थ नहीं) हुई हो तथा वह विधिवत स्वीकृत संवर्गीय (सैक्शन्ड कैडर स्ट्रेंथ) स्थायी अथवा अस्थायी पद पर कार्यरत हो उसकी नियुक्ति संविदा के आधार पर न हुई हो।

(2) कर्मचारी का कार्य, आचरण संतोषजनक रहा हो, सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो तथा उसके विरूद्ध निलम्बन या कोई अनुशासनिक कार्यवाही आदि न चल रही हो।

सुविधायें:-ऐसे अस्थायी कर्मचारी (जो उपर्युक्त शर्तो को संतुष्ट करते हो) की सेवारत आवस्था में मृत्यु हो जाने पर सेवानियुक्ति पर उसी दर पर और सीमा तक ग्रेच्युटी दी जायेगी जिस दर पर स्थायी कर्मचारियों के